भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1929
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालय रिकार्ड का डिजिटलीकरण

1929. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में डिजिटलीकृत रिकार्ड के ई-निरीक्षण की सुविधा की वर्तमान स्थिति क्या है ;
(ख) इसके कार्यान्वयन की सीमा तथा सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) छत्तीसगढ़ में न्यायालय रिकार्ड के डिजिटलीकरण के संबंध में प्रगति संबंधी रिपोर्ट क्या है;
(घ) कितने रिकार्ड का डिजिटलीकरण किया गया है तथा पूरी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी;
(ङ) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने और सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ई- फाइलिंग की वर्तमान प्रणाली के संबंध में इलेक्ट्रोनिक रूप से कितने मामले और व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ; और
(च) क्या सरकार की इसके विस्तार अथवा सुधार की कोई योजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छत्तीसगढ़ में डिजीटल न्यायालय रिकार्ड और ई-फाइलिंग प्रणालियों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में डिजिटल अभिलेखों के ई-निरीक्षण की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(ख) : उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तारीख 30.11.2024 तक, डिजिटलीकृत अभिलेख मामलों की संख्या 84,059 है। इसके अतिरिक्त, स्कैन किए गए अभिलेखों की संख्या 3,86,680 है और सत्यापन के लिए लंबित अभिलेख 3,02,621 हैं। पूरी प्रक्रिया के पूरा होने का अपेक्षित समय लगभग 2 वर्ष है।

(ड.) : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार तारीख 01.01.2024 से अब तक 1315 मामले ई-फाइलिंग के माध्यम से फाइल किए गए हैं। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 2 से 5 विभिन्न प्रकार के मामले ई-फाइलिंग के माध्यम से फाइल किए जा रहे हैं। कंपनी अपील (सीओएमए), कंपनी याचिका (सीओएमपी), माध्यस्थ्म् अनुरोध (एआरबीआर), माध्यस्थ्म् आवेदन (एआरबीएपी), माध्यस्थ्म् अपील (एआरबीए) ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाना अनिवार्य है, जबकि अन्य मामलों में ई-फाइलिंग वैकल्पिक है। अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग के संबंध में कई बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(च) : ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित ई-फाइलिंग घटक के लिए 215.97 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों की एक उप-समिति गठित की गई है, जिसमें डोमेन विशेषज्ञों से युक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्यों की सहायता प्राप्त है, यह उप-समिति डाटा सुरक्षा के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और अधिप्रमाणन तंत्र का सुझाव/सिफारिश करेगी, ताकि गोपनीयता के अधिकार को संरक्षित किया जा सके। उप-समिति को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन बनाए गए डिजिटल अवसंरचना ढांचे, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षा करने का अधिकार दिया गया है, ताकि डाटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए समाधान प्रदान किए जा सकें।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में डिजिटल न्यायालय अभिलेखों और ई-फाइलिंग प्रणालियों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए, इन आंकड़ों को स्थानीय सर्वरों, उच्च न्यायालय में केंद्रीय सर्वर और फिर उच्चतम न्यायालय के सर्वर में संग्रहीत किया जाता है। ये सभी सर्वर फ़ायरवॉल से सुरक्षित हैं।

*****